फट अहकाम

(नियम 26)

[illegible]त सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

[illegible] पुत्र [illegible] बगेरा जाति ..... बनाम (1) धन्ना पुत्र गगड़ा (2) लाला पुत्र गगड़ा कलवी नि मगाणी मेगवालो की ढाणी
कलवी नि मगाणी मेगवालो की ढाणी
गुडामालानी
(3) शाखा प्रबन्धक S.BI
(4) तहसीलदार गुडामालानी

किस्म मुकदमा राजस्व वाद ..... अधि. मुकदमा नम्बर .....148/23.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/11/23	प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री हरिराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम / भू0–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 3/1/24 को पेश हो । सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी	
3/1/24	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इस्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 26/2/24 को पेश हो ।	
26/2/24	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इस्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 29/3/24 को पेश हो ।	
29/3/24		
3/4/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण अनुपस्थित। वादीगण स्वयं अनुपस्थित। वादीगण को मय अधिवक्ता कोर्ट समय पे तीन बार तीन-तीन आवाजे दिलाई गई। बावजूद आवाजे दिलाने के अनुपस्थित रहने के उपरान्त उनवादी पक्ष [illegible] वादीगण की अदम हाजरी में [illegible] को खारिज किया जाता है। [illegible] नियम सुमार होकर काबिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:01:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner